संख्याः 1342 /XVII(4)/2010/129/06टी0सी0

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

महिला **सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग** देहरादून दिनांकः 28 जून, 2011

विषयः– **विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से टेक होम राशन की आपूर्ति करने एवं बी0पी0एल0 गेहूं हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 230/डब्लू0एफ0पी0 एग्रीमेन्ट–1848/2011–12, दिनांक 4–5–2011 एवं पत्र संख्या 320/डब्लू0एफ0पी0 एग्रीमेन्ट–1848/2008–09, दिनांक 18–5–2011, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दिनांक 1–10–2010 को सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लू0एफ0पी0) के मध्य हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 जो कि 04 माह के लिये था, की अवधि दिनांक 15–7–2011 तक बढ़ाये जाने एवं रैसिपि के संगठन में अगरैंथ के स्थान पर गेहूं की व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त 2676 मी0टन इण्डियामिक्स पोषाहार (75 प्रतिशत गेहूं एवं 25 प्रतिशत सोया, प्रसंस्कृत विटामिन एवं मिनरल) की आपूर्ति भी डब्लू0एफ0पी0 के ही माध्यम से कराये जाने तथा इस हेतु 2019.25 मी0टन अतिरिक्त बी0पी0एल0 गेहूं भारतीय खाद्य निगम (एफ0सी0आई0) से प्राप्त करने हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल धनराशि रू0 1,55,60,000/– (रू0 एक करोड़ पचपन लाख साठ हजार मात्र) के व्यय/भुगतान किये जाने की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2. पूर्व हस्ताक्षरित अनुबन्ध को विस्तारित करने से पूर्व विश्व खाद्य कार्यक्रम को पूर्व में उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष पोषाहार के पूर्व निर्धारित संगठन में किये गये परिवर्तन के फलस्वरूप बची हुई धनराशि का पूर्ण विवरण प्राप्त कर लिया जायेगा तथा उक्त अवशेष धनराशि के विस्तारित अनुबन्ध अवधि के लिये वास्तविक आवश्यकता के अनुसार होने की पुष्टि कर ली जायेगी। उक्त के आवश्यकता से अधिक होने पर शेष धनराशि विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त करते हुए राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि आवंटित की गई हो। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही यथा आवश्यकता नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित समयान्तर्गत भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जायेगा।

4. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोडी जाय।

5. मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों / नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जाएगा।

7. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या 81(P) / XXVII(3)/2011-12 दिनाँक 27–6–2011 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्याः 1342 (1) / XVII(4)/2011 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री / मा0मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी / कुमायूं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड।
8. वित्त विभाग / नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(रमेश कुमार)
उप सचिव

शासनादेश संख्याः 1342 (1)/XVII(2)/2011/129/06टी0सी0 का संलग्नक

रू0 लाख में

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	स्वीकृत धनराशि
1	15	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02– समाज कल्याण 102–बाल कल्याण 03–परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था **0303**-पुष्टाहार कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिया जाने वाला पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था **31 सामग्री और सम्पूर्ति**	115.14
2	30	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02– समाज कल्याण 102–बाल कल्याण 02–अनु0 जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान **0202**- समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार (राज्य योजना) **31 सामग्री और सम्पूर्ति**	32.68
3	31	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02– समाज कल्याण 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं **0102**- पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (राज्य योजना) **31 सामग्री और सम्पूर्ति**	07.78
		योग अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31	**155.60**

(रू0 एक करोड़ पचपन लाख साठ हजार मात्र)

आज्ञा से
मिश्र
(रमेश कुमार)
उप सचिव